सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2019/00114

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ

पीठासीन अधिकारी – हरिसिह लंबोरा (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या– 57/2019

श्रीराम पुत्रश्री गोकुलसिह जाति लोधा निवासी निधेराखुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादी

बनाम

1–किशनबल्देव पुत्रश्री गोकुलसिह जाति लोधा निवासी निधेराखुर्द तहसील सैपऊ
2–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक व स्थई
निषेधाज्ञा धारा 88,188आरटीए

उपस्थिति – 1–श्री *सुरेन्द्र दुबे एडवोकेट* ..... (वादी)

निर्णय दिनांक 21.08.2019

वादी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 622 रकवा 2 वीघा 11 विश्वा वाके ग्राम निधेराखुर्द तहसील सैपऊ के खातेदार कातकार थाना पुत्र दौलतिया जाति मुसलमान निवासी निधेराखुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर इसी हैसियत से उपवर्णित आराजीयात पर काबिज काश्त थे। थाना पुत्र दौलतिया अपनी वृद्वावस्था में वादी के साथ रहते थे वादी ही उनकी देखभाल एंव सेवा सुश्रृषा एंव दवाई व खाने पीने इत्यादि की व्यवस्था करता था तथा वृद्वावस्था में काश्त में सहयोग करता था। वादी के सेवाभाव से प्रसन्न होकर थाना उपरौक्त ने विवादित आराजी की वसीयत दिनांक 07.03.1983 को वादी के हक मे तहरीर व तकमील कर गवाही गवाहान कराकर वादी के हवाले की थाना उपरोक्त का निधन स्वाभाविक रूप से लाबल्द विला जौजे अर्सा करीव 30 वर्ष पूर्व हो गया। थाना उपरौक्त के निधन के उपरान्त वादी ने ही उनका अन्तिम संस्कार सम्पन्न किया तथा तेरहवी इत्यादि की व्यवस्था की थाना उपरोक्त के निधन के उपरान्त वादी मुताबिक वसीयत विवादित आराजी पर तन्हा काबिज होकर निरन्तर रूप से काविज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अर्सा करीव 10 दिवस पूर्व विवादित आराजी पर आये तथा हकूकवादी से इन्कारी हुआ तथा वादी को एलानिया धमकी दी कि वह भविष्य मे जवरन वादी को विवादित आराजी से बैदखल कर काश्त नही करने देगा। वादी विवादित आराजी पर निरन्तर रूप से काबिज काश्त होकर फसल प्राप्त कर रहा है तथा ऐसी स्थिति में वादी को यह आवश्यक हो गया है कि वह विवादित आराजी में अपने हकूक खातेदारी उद्घोषित करावें तथा प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द करावें ।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण हाजिर अदालत आये परन्तु जबाब पेश करने से इन्कार किया। वादी ने अपनी साक्ष्य वादी में पी डब्ल्यू–1 श्रीराम पुत्र गोकुलसिह पीडब्ल्यू–2 निरोतीलाल पुत्र

ग्यासीराम तथा पीडबल्यू–3 पप्पू पुत्रश्री केदारनाथ के ब्यान कराये तथा दस्तावैजी साक्ष्य में असल वसीयत तारीखी 07.03.1983 प्रदर्श–1 तथा जमावन्दी संवंत 2071 से 2074 खाता संख्या 110 वाके ग्राम निधेराखुर्द प्रदर्श–2 प्रस्तुत की तथा वसीयत के अनुप्रमाणक साक्ष्यी निरोतीलाल व पप्पू के माध्यम से वसीयत का बिना किसी दबाब व धमकाव के पूर्ण स्वैच्छा पूर्वक निश्पादन सिद्व किया है।

अतः आदेश है कि दावा वादी विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाता है कि वादी को आराजी खसरा नम्बर 622 रकवा 2 वीघा 11 विश्वा वाके ग्राम निधेराखुर्द तहसील सैपऊ जिला धौलपुर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किये जावें तथा प्रतिवादी को जरियें स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वह वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया ।

(हरीसिह लंम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ